

फर्द अहकाम  
(नियम 28)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

वादीगण  
अनुप कुमार जैन पुत्र अनील कुमार जैन जाति जैन  
निवासी फलावर्स रोड चैन्नई तमिलनाडु वगैरा

बनाम

प्रतिवादी  
राजस्थान सरकार जरिये  
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. -2025/ 722  
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
26/11/25	<p>तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) स्थित भूमि खसरा नंबर 438 व रकबा 0.2300 हैक्टर किस्म बारानी सोयम व लगान 0.9200 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हलका, सेणा एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	



सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिगरी बमुकदमें इत्तादाई  
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)  
बइजलास श्री दिनेश विश्णोई, आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
अनुप कुमार जैन पुत्र अनील कुमार जैन जाति जैन निवासी फलावर्स रोड चैन्नई तमिलनाडु वगैरा		राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली


किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2025/ 722  
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष पेरोकार सरकार मिनजानिब मुद्दई व ..... मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) स्थित भूमि खसरा नंबर 438 व रकबा 0.2300 हैक्टर किस्म बारानी सोयम व लगान 0.9200 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हत्का, सेणा एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्टा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26-11-25 को जारी की गई।



दिनेश विश्णोई  
सहायक कलक्टर एवं पदेन्  
उपखण्ड अधिकारी, बाली



Scale 1:1000

खसरा संख्या : 438 क्षेत्रफल : 0.2300 Hectare खाता संख्या : 18 पुराना खाता संख्या : 10

भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : बारानी सोयम [ 0.2300, 0.92 ]

- 1.) अनुप कुमार जैन पुत्र अनील कुमार जैन हिस्सा- 15/23 जाति- जैन निवासी 202, शंखेश्वर सैरेनिटी १०८९ पुनमल्ली हाई रोड, वेपेरी फलावर्स रोड चेन्नई तमिलनाडु खातेदार
- 2.) पन्नाराम पुत्र सांकला राम हिस्सा- 8/23 जाति- रैबारी (देबासी) सा देह खातेदार

4-11-11

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

मोतीलाल सोलंका  
रैबारी (भू.अ.)  
तह - बाली जिला - पाली

- नोट :-
१. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
  २. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
  ३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

तहसीलदार (भू.अ.) बाली